संख्या–376/vi/2004–286 पर्य/2003,

प्रेषक,

श्री एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग–
2004

देहरादून: दिनांक 10 जून,

विषय–वित्तीय वर्ष 2004–05 में मा0 अध्यक्ष, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, मा0 उपाध्यक्ष, चारधाम विकास परिषद एवं मा0 पर्यटन सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी के उपयोगार्थ वाहनों का क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के पत्रांक–616/1–2–15/04 दिनॉक 27 मार्च, 2004 एवं 27/1–2–31/04 दिनॉक 27 अप्रैल, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त महानुभावों के लिये निम्नानुसार तीन वाहनों के क्रय हेतु रू0 11,47,841.00 (रूपये ग्यारह लाख सैतालीस हजार आठ सौ इक्तालीस मात्र) व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क– मा0 अध्यक्ष, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद हेतु टोयटा क्वालिस वाहन रू0 4,77,399.00 (रूपये चार लाख सतत्तर हजार तीन सौ निन्नानवें मात्र)

ख– मा0 उपाध्यक्ष, चारधाम विकास परिषद हेतु एम्बेस्डर कार रू0 3,35,221 (रूपये तीन लाख पैतीस हजार दो सौ इक्कीस मात्र)

ग– मा0 पर्यटन सलाहकार, माननीय मुख्यमंत्री हेतु एम्बेस्डर कार रू0 3,35,221 (रूपये तीन लाख पैतीस हजार दो सौ इक्कीस मात्र)

2–यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– वाहनों के क्रम में फार्म डी का उपयोग करते हुये करों में अनुमन्य छूट का लाभ प्राप्त किया जाय।

4– उक्त वाहनों का क्रय डी0जी0एस0एण्डडी0 की दरों पर किया जाय। इन वाहनों के क्रय के उपरांत उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद की बैठक में इस पर कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाय।

6– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–00–आयोजनेतर–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–उत्तरांचल राज्य पर्यटन विकास परिषद–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राजसहायता मानक मद के नामे डाला जायेगा एवं शासनादेश संख्या–268/पु0अ0/2004–51 पर्य0/2003 दिनॉक 26 अप्रैल, 2004 के उपरोक्त लेखाशीर्षक में जारी धनराशि में वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

पु0प0सं0– vi/2004–286 पर्य/2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
4– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
5– वित्त अनुभाग–3।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।